UPPG010004162025

Presented on : 18-01-2025
Registered on : 18-01-2025
Decided on : 29-07-2026
Duration : 1 years, 6 months, 11 days

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–2, प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–राम लाल–द्वितीय (एच०जे०एस०)
J.O. CODE–UP 6467
फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–27/2025
उमेशचन्द्र पाण्डेय **बनाम** राज्य उ0 प्र0 आदि

दिनांक 29.07.2026

1. पत्रावली पेश हुई पुकार करायी गयी। निगरानीकर्ता विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। निगरानीकर्ता की ओर से 5ख मय शपथ पत्र धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में कहा गया कि मुकदमे से संबंधित दुर्घटना में एक ओर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुआ जिस पर दोनों मुकदमे के संबंध में मोटर दूर्घटना में मुकदमा चला जब वहां मुकदमा निर्णीत हुआ व प्रार्थी के विरूद्ध आदेश पारित हुा तो प्रार्थी के अधिवक्ता को जानकारी नहीं हुआ। प्रार्थी दीवानी न्यायालय आकर पता किया तो पता चला कि मुकदमा निर्णीत हो चुकी है। प्रार्थी नकल प्राप्त अविलम्ब निगरानी प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने जानबूझकर विलम्ब नहीं किया है। विलम्ब उपरोक्त परिस्थितियों में हुआ है। प्रार्थी धारा 5 कानून विलम्ब अधिनियम का लाभ पाने के अधिकारी हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को धारा 5 कानून विलम्ब अधिनियम का लाभ दिए जाने की कृपा की जाए।
2. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निगरानीकर्ता के द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 12.09.2015 के विरूद्ध फौजदारी निगरानी दिनांक 18.01.2025 को अत्यधिक विलम्ब से दाखिल की गयी है। निगरानीकर्ता द्वारा आदेश की नकल दिनांक–16.01.2025 को प्राप्त होना बताया गया है। प्रश्नगत मामले को गुणदोष के आधार पर निस्तारण किये जाने के लिय उपरोक्त परिस्थितयों में न्यायहित में अपीलार्थी को धारा–5 परिसीमा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहाँ तक विलम्ब का प्रश्न है उसकी पूर्ति क्षतिपूर्ति के रूप में की जा सकती है। तद्नुसार अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 5ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

Digitally signed by RAM LAL
Date: 2026.07.29 17:01:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>आदेश</u>

4. प्रार्थना पत्र 5 ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 2000/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। फौजदारी निगरानी को दाखिल करने में जो विलम्ब हुआ है, धारा 5 परिसीमा अधिनियम का लाभ देते हुये विलम्ब क्षमा किया जाता है। प्रार्थी/ निगरानीकर्ता हर्जा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करें।

5. हर्जा नियत तिथि के पूर्व तक जमा कर हर्जे की रसीद दाखिल करने के उपरान्त फौजदारी निगरानी अंगीकृत किये जाने के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 07.09.2026 को पक्षकार सत्र न्यायालय उपस्थित हों। पत्रावली हर्जा अदायगी उपरान्त सत्र न्यायालय, प्रतापगढ़ के कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित हो। यदि हर्जा दिनांक–07.09.2026 के पूर्व तक जमा नही किया जाता है तो निगरानी पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तार हो।

Dictated on :29-07-2026
Transcribed on :29-07-2026
checked on : 29-07-2026
Signed on :29-07-2026

(राम लाल–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–2, प्रतापगढ़।
<u>जे0 ओ 0 कोड–UP 6467</u>

स्टेनोः– अभयराज